न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 84/2016

बृजलाल पुत्र भादरराम जाति जाट निवासी फतूई तहसील व जिला श्रीगंगानगर। — अपीलार्थी

बनाम

1. नंदराम
2. राजेन्द्र
3. भानीराम

} पिसरान हजारीराम जाति जाट निवासी फतूई तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीगंगानगर।

——रेस्पोडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 223 रा.का.अ. 1955

विरूद्ध आदेश उपखंड अधिकारी श्रीगंगानगर दिनांक 09.05.2016

उपस्थितिः–

श्री ओ.पी.बतरा अभिभाषक अपीलार्थी

श्री हरीश कुमार सोनी

श्री इकबालसिंह सिद्धु, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 20.03.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी/अपीलार्थी ने एक वाद न्यायालय उपखंड अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष रा.का.अ.की धारा 188, 92ए का पेश किया। उक्त वाद में पक्षकारों द्वारा दिनांक 02.05.2011 को राजीनामा पेश किया जो दिनांक 03.05.2011 को तस्दीक किया जाकर दिनांक 31.10.2012 को वादी का वाद राजीनामा अनुसार डिक्री किया गया। तत्पश्चात प्रतिवादीगण/रेस्पो. ने दिनांक 26.08.2014 को एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि राजीनामा व समझौता अनुसार डिक्री में प्रतिवादी नंदराम को मु.नं. 42 के कि.नं. 12/1 में 9 बिस्वा व वादी बृजलाल को कि.नं. 12/2 में 4 बिस्वा रकबा होना

20/3/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

चाहिए था लेकिन सहवन से डिक्री में कि.नं. 12/2 का 4 बिस्वा द्वितीय पक्षकार डिक्री के मुताबिक यानि प्रतिवादी तथा कि.नं. 12/1 का 9 बिस्वा प्रथम पक्षकार को देना अंकित कर दिया गया। उक्त निर्णय व डिक्री में लिपिकीय गलती से हुई है जिसे किसी भी दुरस्त किया जा सकता। अतः निवेदन है कि निर्णय व डिक्री में दुरस्त किया जाकर कि.नं. 12/2 का 4 बिस्वा वादी बृजलाल के नाम व कि.नं. 12/1 का 9 बिस्वा प्रतिवादी नंदराम के नाम डिक्री में दुरस्त करने के आदेश दिये जावे, जिस पर अधी. न्यायालय ने दिनांक 28.08.2014 को पत्रावली पेशी में लेकर प्रा.पत्र स्वीकार कर लिया जिसके विरूद्ध इस न्यायालय में अपील पेश होने पर इस न्यायालय द्वारा दिनांक 16.06.2015 को अपील स्वीकार कर प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया कि दोनों पक्षों को सुनकर प्रकरण का निर्णय किया जावे। प्रकरण रिमाण्ड होने पर अप्रार्थी बृजलाल ने जबाब प्रा.पत्र पेश किया एवं सुनवाई करने के पश्चात दिनांक 09.05.2016 को संशोधित आदेश पारित कर दिया जिसके विरूद्ध वादी/अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में दर्ज तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि मु.नं. 42 के कि.नं. 12 में 12 बिस्वा रकबा है। किन्तु अधी. न्यायालय ने 13 बिस्वा रकबा मानकर भूल की है। वादी द्वारा जो राजीनामा पेश किया था उसे उसी समय इन्कार कर दिया था। अधी. न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को सुनकर डिक्री जारी की थी तो कानूनन उसे शूद्ध करने का मामला नहीं बनता है। अधी. न्यायालय ने कानूनी प्रावधानों के बाहर जाकर आदेश पारित किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पों. ने अपनी बहस में कथन किया कि वाद में पक्षकारों के मध्य राजीनामा पेश होने पर तस्दीक किया जाकर दिनांक 31.10.2012 को डिक्री किया गया। किन्तु उसमें लिपिकीय त्रुटि रह गई जिसे दुरूस्त कराने का प्रा.पत्र प्रतिवादीगण द्वारा पेश किया गया जो अधी. न्यायालय ने स्वीकार कर

20/3/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

आदेश पारित करने में कोई भूल नहीं की। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अधी.न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी द्वारा वाद पेश करने पर उक्त वाद में पक्षकारों द्वारा राजीनामा दिनांक 02.05.2011 को पेश किया गया जो दिनांक 03.05.2011 को स्वीकार किया जाकर वाद दिनांक 31.10.2012 को राजीनामा के आधार पर डिक्री किया गया । उसी के क्रम में अधी0 न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। सीपीसी की धारा 96 (3) के अनुसार राजीनामा के आधार पर पारित आदेश की अपील नहीं होती है। तदानुसार अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 20.03.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20/3/18

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर।